District Institute of Education & Training, Patna
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना
(Patna, Bikram - 801104)

दो वर्षीय प्रशिक्षण(डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन)सत्र **2021-23** में नामांकन हेतु सूचना।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना बिक्रम अकादमिक सत्र 2021-23 के लिए NCTE द्वारा स्वीकृत 200 सीटों के विरूद्ध दो वर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन) में नामांकन हेतु महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के पत्रांक– 12/विविध–11/2016– 274 दिनांक –29.07.2021 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में सत्र 2021-23 में नामांकन का कार्य निम्न कैलेंडर के अनुसार होगा। –

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ तिथि	18.08.2021 से
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	01.09.2021 तक
वृहत मेधा सूची का प्रकाशन	13.09.2021
मेधा सूची पर अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति प्राप्त करना	20.09.2021 तक
प्राप्त आपत्ति के निराकरण उपरांत अंतिम मेधा सूची (सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची) एवं कोटिवार/विषयवार सम्पूर्ण प्रतीक्षक सूची का प्रकाशन(संस्थान के वेबसाइट एवं सूचना–पट्ट पर) ।	27.09.2021
नामांकन हेतु सूचना प्रेषण(दूरभाष/ई–मेल/ वेबसाइट द्वारा)	30.09.2021
नामांकन (प्रथम सूची एवं तदुपरांत प्रतीक्षक सूची,दोनो के आधार पर)	18.10.2021 तक
नामांकन प्रकिया बंद	19.10.2021 तक
कक्षा संचालन की तैयारी (परिचय पत्र,निबंधन, प्रशिक्षण महाविद्यालय के संकाय सदस्यों एवं वरीय सत्र के छात्रों से पारस्परिक विचार–विमर्श इत्यादि)	19.10.2021 से 20.10.2021 तक
शिक्षण कार्य प्रारंभ करना (फेस टू फेस ऑनलाईन)	21.10.2021 से

नामांकन हेतु अहर्ता–

1. नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इंटर/+2 में 50 प्रतिशत अंकों की होगी तथा अनु0जाति/जन जाति/निःशक्त के लिए 5 प्रतिशत की छूट होगी।
2. कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन कला, वाणिज्य विषय के अभ्यर्थियों का तथा शेष 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों का लिया जाएगा। उर्दू विषय की गणना कला एवं वाणिज्य विषय की सीटों के विरूद्ध किया जाएगा।

3. नामांकन में आरक्षण – नामांकन में बिहार राज्य के आरक्षण नियम का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार/सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान में प्रभावी नियम/परिनियम आदि का पालन आवश्यक होगा।
   स्वीकृत सीट का 05 प्रतिशत निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। निःशक्त एवं उर्दू अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 05 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत क्षैतिज (horizontal) आरक्षण लागू होगा।

4. चयन का आधार– नामांकन हेतु चयन आधार दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्ताकों का प्रतिशत होगा। दोनो कक्षाओं के प्राप्त प्राप्तांको के प्रतिशत का औसत निकालते हुए मेधासूची का निर्माण कोटिवार किया जाऐगा। प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत समान रहने पर उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्तांको के प्रतिशत का औसत योग्यता तथा जन्म तिथि समान रहने पर अभ्यर्थी के अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे जाने वाले नाम के वर्णाक्षर के आधार पर जो नाम वर्णाक्षर में पहले आऐंगे उन्हे प्राथमिकता दी जायेगी।

वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पोलीटेक्नीक, आई.टी.आई. या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डी.एल.एड. कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अन्तर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होनें मध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा फोकानियां के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डी.एल.एड में नामाकन के पात्र होंगे।

उर्दू अभ्यर्थियों के लिए प्रथम मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाऐगा। मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थी के अनुपलब्धता की स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाऐगा , जिन्होंने उर्दू विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ा हो तथा उन्होंने उर्दू में नामांकन हेतु अधियाचना दी हो। उपर्युक्त दोनों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने अहिन्दीभाषी अभ्यर्थीयों की तरह उर्दू पढ़ा हो।

5. उम्र सीमाः– नामांकन हेतु नामांकन वर्ष के जनवरी (2021) माह की पहली तारीख को अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 17 (सतरह) वर्ष होगी तथा आयु की अधिकतम सीमा नही रखी जाऐगी।

6. नामांकन शुल्क–

प्रशिक्षण हेतु प्रति अभ्यर्थी 11500.00 (ग्यारह हजार पॉच सौ) रू0 की राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन. जाति एवं निःशक्त अभ्यर्थी के लिए यह राशि रू0 7000/– (सात हजार) मात्र होगी। उपर्युक्त राशि प्रशिक्षुओं के मासिक भोजन एवं छात्रावास शुल्क छोड़कर निर्धारित है।

7. आवेदन शुल्क– आवेदकों को आवेदन मद में कुल रु0 100/– का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से संस्थान के वेबसाइट www.dietpatna.com पर प्रदर्शित निर्देशों के अनुसार करना होगा, जिसे वापस नही किया जाएगा।

आदेशानुसार
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
पटना बिक्रम।